

राजस्थान आवासन मण्डल: जयपुर ।

क्रमांक:- पा. ॥ कार्मिक/अस्पताल/११/२५८१

दिनांक:- २६/१०/११


कार्यालय आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम १९७० के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये भण्डारी हास्पिटल एवम् रिसर्व सेन्टर, १३८ ए, वसुन्धरा कालोनी, गोपालपुरा बाईपास, टोंक रोड, जयपुर को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है :-

विशेष शर्तें :-


- ११। हास्पिटल में आन्तरिक रोगीके रूप में भर्ती होने पर कुल देय राशि में १० प्रतिशत की छूट देय होगी ।
- १२। बर्हिगम रोगी **ओपीडी** की जांच पर २० प्रतिशत छूट देय होगी।
- १३। इसके अतिरिक्त अन्य शर्तें जो मण्डल द्वारा अन्य प्राईवेट हास्पिटलों पर लागू हैं, इन पर भी लागू होगी ।

उपरोक्त आदेशों को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मण्डल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है ।


सचिव २६/१०

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- १। निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा. आ. मं. जयपुर ।
- २। वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव/वि. स. एवं मुख्यलेखा अधिकारी/अति. मुख्य अभियन्ता.....
- ३। उप आवासन आयुक्त वृत्त...../आवासीय अभियन्ता, खंड.....
- ४। लेखाधिकारी **वित्त**/लेखाधिकारी **भुगतान** राज० आवासन मण्डल, जयपुर ।
- ५। समस्त अधिकारी / समस्त प्रकोष्ठ **मुख्यालय**.....
- ६। प्रबन्ध निदेशक, भण्डारी हास्पिटल एवं रिसर्व सेन्टर, जयपुर ।
- ७। रक्षित पत्रावली /नोटिस बोर्ड


सचिव २६/१०